

85

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

C.F.

R-4285-PBR/12

श्री सुनील चौधरी  
अभिभाषक द्वारा  
आज दिनांक  
13-12-12 को हजेर  
वेब पर प्रस्तुत।

*[Signature]*  
13-12-12

*[Signature]*  
17-12-12

- १- श्रीमती ताराबाई पति चतरसिंह  
निवासी ग्राम मांग्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर
- २- अशोक पिता चतरसिंह  
निवासी ग्राम मांग्या, तहो सांवेर, जिला इन्दौर
- ३- अन्तरसिंह पिता चतरसिंह  
निवासी ग्राम मांग्या, तहो सांवेर, जिला इन्दौर
- ४- सतीश पिता चतरसिंह  
निवासी ग्राम मांग्या, तहो सांवेर, जिला इन्दौर -- प्राथीगण

विरुद्ध

- १- जितेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह शेखावत  
१०/१०, पाटनीपुरा चौराहा, इन्दौर
- २- श्रीमती पुष्पा पति चित्तरंजनसिंह राणावत  
६०, सी०पी०डब्ल्यू०डी० बोलोरिया परिसर,  
नकलवा चौराहा, इन्दौर
- ३- सूरजमल पिता पूराजी बलाई  
निवासी ग्राम मांग्या, तहो सांवेर, जिला इन्दौर
- ४- फूलचन्द पिता सेवाजी बलाई  
निवासी सदर
- ५- पूनमचन्द पिता जयराम  
निवासी सदर
- ६- कौगालाल पिता मोतीराम  
निवासी सदर

-- प्रतिप्राथीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५० भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत -

श्री आकाश त्रिपाठी, आय०र०रस० कलेक्टर जिला इन्दौर  
द्वारा अपील प्रकरण क्र० ६५/२०११-१२ में पारित आदेश दि० ०५/११/२०१२  
से असन्तुष्ट रह्क् दुखित होकर प्राथीगण यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा  
अन्य आधारों पर, नियत समयवधि में, योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत  
करते हैं -

अशोक



*[Signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4285-पीबीआर/12

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री दिनेश कारपेंटर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	